

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applexdix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर, चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास श्री भागीरथ राम ॥, आर.ए.एस.

अनवान :-
वादी -

1. भगाराम पुत्र दमाराम, जाति जाट
निवासी खेड़ा, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. दलाराम 2. गोरधनराम पि. दमाराम
जाति जाट, निवासी खेड़ा, तहसील चौहटन
3. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. चौहटन
4. तहसीलदार/उपपंजीयक चौहटन

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 RT Act.

मुकदमा नं. 17/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु.ब.रु. न्यायालय बहाजरी श्री जगदीश पोटलिया एड. मिनजानिब मुदाई व श्री प्रवीण चौधरी एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा खेड़ा, पटवार क्षेत्र आलमसर में खसरा सं. 916/16 रकबा 128.16 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरों की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज मबलिंग बाबत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09.01.2023 को जारी

की गई।



दस्तखत.....

ओहदा सहायक कलक्टर

मुदाई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया
स्टाम्प अर्जदिया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पदमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	(SDO) चौहटन
	मीजान			

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे विकरी के जरिये दिलावे करना।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (बीघा में)	किस्म	ल	ह
1	गोरधनराम पुत्र दमाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	खेड़ा	919/16	64.08	बा.सो.	03.22	ह
		योग	1	64.08	बा.सो.	03.32	हरा
2	दलाराम पुत्र दमाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	खेड़ा	919/16	02.00	बा.सो.	00.10	आसमानी
		योग	1	02.00	बा.सो.	00.10	आसमानी
3	भगाराम पुत्र दमाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	खेड़ा	916/16	62.08	बा.सो.	03.12	गुलाबी
		योग	1	62.08	बा.सो.	03.12	गुलाबी

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(भागीरथ राम II)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन